"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 905] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2019 — पौष 9, शक 1941

ऊर्जा विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2019

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019.

क्रमांक 83/छ.रा.वि.नि.आ./2019.— भारत सरकार, पर्यावरण हितैषी होने के कारण ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोंतो को विकसित करने पर बल दे रही है। विद्युत अधिनियम, 2003 में भी भारत सरकार द्वारा इस बारे में नीति निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है एवं ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोंतों को अपने क्षेत्राधिकार में प्रोत्साहित करने हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोगों को निर्देशित किया गया है।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा के.वि.नि.आ.(नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतों से टैरिफ निर्धारण की दशाएं और शर्तें) विनियम, 2017 अधिसूचित किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों सहित **नगरपालिका अपशिष्ट से ऊर्जा (नगरपालिका ठोस अपशिष्ट** और **कचरा निष्पन्न ईंधन)** के लिए टैरिफ के निर्धारण संबंधी पहलुओं की चर्चा की गई है। यद्यपि ये विनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र की और अंतर्राज्यीय उत्पादन परियोजनाओं पर प्रयोज्य हैं, तथापि इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतों से विद्युत उत्पादन से संबंधित विषयों को लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोगों के लिए मार्गदर्शी कारक के तौर पर विचार में लिया जा सकता है।

पवन ऊर्जा तकनीक केन्द्र (CWET)/ राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) साथ ही क्रेडा ने छत्तीसगढ़ राज्य में कतिपय ऐसे स्थलों को चिन्हित किया है, जिनकी पवन ऊर्जा क्षमताओं का दोहन, विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, इसके लिए इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सम्यक् टैरिफ देना आवश्यक है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए और विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, सन् 2003) की धारा 61, 86 सहपठित 181 में निहित शक्तियों और इस संबंध में अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक (आयोग) एतद्द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत विक्रय के निमित्त टैरिफ की शर्तें और दशाएं विनिर्दिष्ट करते हुए निम्नांकित विनियम बनाता है।

इन विनियमों के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2012 में जारी "नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के आधार पर ग्रिड से जुड़ी बिजली परियोजनाएँ के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धीय बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश" या उसके परवर्ति संशोधन के अनुसार विद्युत क्रय करने से इन विनियमों के कोई भी प्रावधान बाधित नही करता है।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ–

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (**नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषयवस्तु की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2019.** कहलाएंगे;

1.2 ये विनियम, 01 अप्रैल, 2019 से लागू होंगे और लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेंगें।

1.3 ये विनियम, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित होंगे और राज्य में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन केन्द्रों पर प्रयोज्य होंगे।

2. **परिभाषाएं और निर्वचन–**

2.1 जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में:–

क. **'अधिनियम'** से अभिप्रेत है, समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36);

ख. **'सहायक ऊर्जा खपत'** अथवा 'AUX' उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में किसी काल खण्ड के संबंध में, से अभिप्रेत है, विद्युत उत्पादन केन्द्र के सहायक उपकरणों द्वारा खपत और उत्पादन केन्द्र के अंतर्गत पारेषण में हानि पर व्यय की गई ऊर्जा की मात्रा और उसे उत्पादन केन्द्र की सभी इकाईयों के विद्युत उत्पादकों (जनरेटर) के टर्मिनल पर उत्पादित सकल ऊर्जा, संयुक्त (कंबाइंड) अथवा पृथक, के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा;

ग. **"बायोमास "**से अभिप्रेत है, कृषक और वानिकी संचालनों (उदाहरणार्थ, तिनके और डंठल) अथवा कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण में उप–उत्पाद के रूप में उत्पादित (उदाहरणार्थ, भूंसी, छिले, वितेलित केक, आदि) समर्पित ऊर्जा वृक्षारोपणों अथवा जंगली झाड़ियों/खरपतवारों से प्राप्त लकड़ी; और कतिपय आद्यौगिक संचालनों से उत्पादित अनुपयोगी काष्ठ अथवा समय–समय पर नवीन ओर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपशिष्ट पदार्थ;

घ. **"क्षमता उपयोगिता कारक" "Capacity Utilization Factor"** अथवा **"सी.यू.एफ. अथवा संयंत्र भार कारक"** "Plant Load Factor अथवा 'पी.एल.एफ." एक निश्चित कालखण्ड के लिए, से अभिप्रेत है उक्त कालखण्ड के संदर्भ में स्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त बाह्य प्रेषित विद्युत जिसकी संगणना निम्नांकित सूत्र द्वारा की जायेगी;

$$\text{सी.यू.एफ.} = \frac{\text{संदर्भित कालखंड में सकल उत्पादन}}{\text{स्थापित क्षमता} \times \text{संदर्भित कालखंड के दौरान कुल घंटे (बंद घंटों सहित)}} \times 100$$

ङ. **"पूंजी लागत"** से अभिप्रेत है, विनियम 12,25, 28, 34, 46, 54, 59 और 65 में संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत के लिए यथापरिभाषित लागत;

च. **"सी.ई.आर.सी."** से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग;

छ. **"आयोग"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग;

ज. **"प्रवर्तन में लाना"** (कमीशनिंग) से अभिप्रेत है, उत्पादन संयंत्र के प्रणालियों और घटकों की जॉच और संचालन, जैसी कि उत्पादन संयंत्र के सफल तुल्यकालन (सिंक्रोनाइजेशन) क लिए आवश्यक हो। प्रवर्तन में लाने की प्रक्रिया न केवल नई परियोजनाओं पर लागू की जा सकेगी अपितु विस्तार, नवीनीकरण अथवा सुधार के चलते मौजूदा इकाईयों और प्रणालियों पर भी प्रयुक्त की जा सकेगी;

झ. **"अंतिम दिनांक" "Cutoff Date"** से अभिप्रेत है, परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के एक वर्ष के समापण वर्ष के मार्च माह की 31वी दिनांक और किसी वर्ष की अंतिम तिमाही में संचालन में घोषित हुई परियोजना के प्रकरण में अंतिम दिनांक वाणिज्यिक संचालन में आने के एक वर्ष उपरांत समापन वर्ष की 31 वीं मार्च;

ञ. **"नियंत्रण अवधि अथवा पुनरीक्षण अवधि"** से अभिप्रेत है वह अवधि जिसके दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट टैरिफ निर्धारण के मानदण्ड वैध बने रहेंगे;

ट. **"वाणिज्यिक परिचालन की दिनांक"** अथवा **"सी.ओ.डी."** से अभिप्रेत है–

(i) विद्युत उत्पादन ईकाई के संबंध में विद्युत उत्पादक द्वारा हितग्राही को सूचित करके रूपांकित दशा में (अनियंत्रणीय प्रतिमानकों में परिवर्तनों को विचार में लने के उपरांत) अधिकतम निरंतर दर (एम.सी.आर.) अथवा सफल परीक्षण द्वारा स्थापित क्षमता (आई.सी.) का प्रदर्शन करने के उपरांत घोषित दिनांक।

(ii) विद्युत उत्पादन स्टेशन के संबंध में उपरोक्त कंडिका (i) के अनुसार, विद्युत उत्पादन स्टेशन की अंतिम ईकाई अथवा खंड (ब्लॉक) के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक;

ठ. **"वित्तीय वर्ष"** से अभिप्रेत है, किसी कलैण्डर वर्ष की अप्रैल प्रथम दिनांक से प्रारंभ होकर और परवर्ति कलैण्डर वर्ष की 31 वीं मार्च को समाप्त होने वाली अवधि;

ड. **"फर्म विद्युत"** से अभिप्रेत है, परियोजना की वाणिज्यिक संचालन की तिथि से और उसके उपरांत प्रदाय की गई विद्युत;

ढ. **"सकल(ग्रॉस) कैलोरी मूल्य"** अथवा **"जी.सी.वी."** उत्पादन स्टेशन में उपयोग किए गए ईंधन के संबंध में अभिप्रेत है, एक किलोग्राम ठोस ईंधन से अथवा एक लीटर द्रव ईंधन अथवा एक मानक घन मीटर गैस ईंधन, जैसी भी स्थिति हो, के पूर्णतः दहन से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा जिसे किलो कैलोरी में मापा गया है;

ण. **"सकल स्टेशन ऊष्मा दर"** अथवा **"जी.एस.एच.आर."** से अभिप्रेत है, विद्युत जनरेटर के टर्मिनल पर एक किलोवाट प्रति घंटा विद्युत ऊर्जा की मात्रा के उत्पादन हेतु आवश्यक उष्मीय ऊर्जा की किलो कैलोरी में मापी गई मात्रा ;

त. **"संकर सौर ताप विद्युत संयंत्र"** **"Hybrid Solar Thermal Power Plants"** से अभिप्रेत है, ऐसा सौर तापीय विद्युत संयंत्र, जो विद्युत उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा के साथ–साथ नवीकरणीय ऊर्जा आगम स्त्रोंतों का उपयोग करता है, और जिसमें सौर ऊर्जा घटक से 75 प्रतिशत से अन्यूण विद्युत का उत्पादन होता है;

थ. **"इनफर्म पावर"** से अभिप्रेत है, विद्युत उत्पादन स्टेशन/इकाई द्वारा वाणिज्यिक संचालन की दिनांक की घोषणा से पूर्व उत्पादित विद्युत;

द. **"स्थापित क्षमता"** अथवा **"आई.सी."** से अभिप्रेत है, विद्युत उत्पादन स्टेशन की सभी इकाईयों की नाम–पट्टिकाओं पर अंकित क्षमताओं का योग अथवा आयोग द्वारा, समय–समय पर विद्युत उत्पादन स्टेशन की (उत्पादक जनरेटर टर्मिनल पर आकलित/परीक्षित)अनुमोदित क्षमता;

ध. **"अंतर्संयोजन बिन्दु"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति नवीकरणीय विद्युत उत्पादन सुविधा से यथास्थिति पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली का अंतर्संयोजन बिन्दुः–

i. पवन ऊर्जा परियोजनाओं और सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के संबंध में, अंतर्संयोजन बिन्दु पूलिंग उपकेन्द (Pooling Substation) के आऊटगोइंग फीडर के एच.व्ही. साईड पर लाईन आईसोलेटर होगा;

ii. लघु जल विद्युत, बायोमास विद्युत और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजनाओं और सौर तापीय विद्युत परियोजना के संबंध में अंतर्सयोजन बिन्दु उत्पादन ट्रांसफार्मर की आऊटगोइंग फीडर के एच.व्ही. साईड पर लाईन आईसोलेटर होगा;

न. **"अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है, राज्य में संचालनरत् कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी;

प. **एम.एन.आर.ई.** से अभिप्रेत है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार;

फ. **"अधिकतम निरंतर रेटिंग"** अथवा **'एम.सी.आर.'** नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित ताप उत्पादन केन्द्र की किसी इकाई के संबंध में अभिप्रेत है, नियत पैरामीटरों पर संयंत्र निर्माता द्वारा आश्वासित, उत्पादक (जनरेटर) की छोर पर अधिकतम निरंतर उत्पादन;

ब. **"नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW)"** से अभिप्रेत है, और उसमें सम्मिलित है किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक और रहवासी अपशिष्ट, चाहे वें ठोस अथवा अर्द्धठोस रूप में हो जिसमें औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट सम्मिलित नही हैं परन्तु उपचारित बायोमेडिकल अपशिष्ट सम्मिलित है;

भ. **"लघु/सूक्ष्म जलीय"** से अभिप्रेत है, ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं जिनकी स्टेशन क्षमता सूक्ष्म जलीय विद्युत संयंत्रों के लिए 100 वॉट तक है और लघु जलीय के लिए 101 वॉट से 2 मेगावॉट तक है;

म. **"नॉन फर्म विद्युत"** से अभिप्रेत है, नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित विद्युत, जिसका घंटे दर घंटे परिवर्तन, धूप, बादल, पवन, आदि प्राकृतिक लक्षणो पर आश्रित है, जिसका शुद्ध पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता;

य. . **"गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन"** से अभिप्रेत है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें बायोमास के उपयोग से श्रृंखलाबद्ध रूप में एक से अधिक प्रकार की ऊर्जा (जैसे–वाष्प और विद्युत) उत्पन्न की जाती है। बशर्ते की ऐसी परियोजना विनियम 4.4 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों पर सह–उत्पादन परियोजना के रूप में अर्हता प्राप्त हो;

र. **"परियोजना/संयंत्र"** से अभिप्रेत है, निकासी प्रणाली को सम्मिलित करते हुए अंतर्सयोजन बिन्दु तक कोई उत्पादन केन्द, और लघु जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में इसमें सम्मिलित हैं, यथास्थिति उत्पादन सुविधा के समस्त घटक जैसे– बांध, आगम जल, परिचालक प्रणाली, विद्युत उत्पादन केन्द्र और उस स्कीम की समस्त उत्पादन इकाईयां, जैसी कि विद्युत उत्पादन हेतु विभाजित की गई हों;

ल **"कचरा निष्पन्न ईंधन (RDF)"** से अभिप्रेत है, क्लोरीनिकृत प्लास्टिक को छोड़कर समग्र दहन योग्य ठोस अपशिष्ट का भाग जिसे ठोस अपशिष्ट को सुखाकर, तोड़कर, टुकड़ेकर, निर्जलीकरण और ठोसकरण से निर्मित गोली (पैलेट) अथवा फुज्जी (फ्लफ) के रूप में दहन योग्य घटक बनाया गया है;

व **"नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र"** से अभिप्रेत है, पारंपरिक विद्युत संयंत्रों से भिन्न, ग्रिड गुणवत्ता का विद्युत उत्पादन करने वाले ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा के विद्युत संयंत्र जिन्हें नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाये;

श. **"नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत"** से अभिप्रेत है, नवीकरणीय स्त्रोत जैसे लघु जल, पवन, सौर, जिसमें इनके समेकित चक्र का एकीकरण सम्मिलित है, बायोमास, जैव ईंधन सह–उत्पादन, नगरीय अथवा नगर पालिक अपशिष्ट और ऐसे अन्य स्त्रोत जिन्हें नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाये;

ष. **"अनुसूचित उत्पादन" से अभिप्रेत है, विद्युत उत्पादनकर्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य अनुबंधित** किसी समय पर अथवा किसी कालखंड अथवा समय–अंतराल के लिए **अंतर्संयोजन बिन्दु** में उत्पादन की अनुसूचित मात्रा मेगावाट अथवा मिलियन यूनिटों में;

स. **"सौर पी.व्ही. विद्युत"** से अभिप्रेत है, ऐसे सौर फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना जो सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टिक तकनीक से सीधे विद्युत में परिवर्तित करते हैं;

ह **"सौर तापीय विद्युत"** से अभिप्रेत है, ऐसी सौर तापीय विद्युत परियोजना जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करने के लिए या तो लाईन फोकस अथवा बिन्दु फोकस सिद्धांत पर आधारित सांद्र सौर विद्युत तकनीक का उपयोग करते हैं;

क्ष. **"राज्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

त्र . **"टैरिफ अवधि"** से अभिप्रेत है, वह अवधि जिसके लिए आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर टैरिफ का निर्धारण किया जाना है;

ज्ञ. **"उपयोगी जीवनकाल"** निकासी प्रणाली को सम्मिलित करते हुए किसी उत्पादन केन्द्र की किसी इकाई के संबंध में, से अभिप्रेत है, ऐसी उत्पादन सुविधा के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक से निम्नांकित अवधि, अर्थात;

i. पवन ऊर्जा विद्युत परियोजना–	25 वर्ष
ii. लघु जल विद्युत संयंत्र–	35 वर्ष
iii. बायोमास विद्युत संयंत्र–	20 वर्ष
iv. गैर जीवाश्म ईंधन (Non-fossil) सह–उत्पादन–	20 वर्ष
v. सौर पी.व्ही./सौर तापीय विद्युत संयंत्र–	25 वर्ष
vi. नगरपालिका ठोस अपशिष्ठ और **कचरा निष्पन्न ईंधन आधारित विद्युत संयंत्र**	20 वर्ष

कक. **"वर्ष"** से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष;

2.2 ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिनका उपयोग इन विनियमों में किया गया है किन्तु उन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया, का अभिप्राय वहीं होगा, जो अभिप्राय उनका अधिनियम में अथवा आयोग द्वारा रचित अन्य विनियमों में है।

3. क्षेत्र और प्रयोज्यता की सीमा–

3.1 नवीन परियोजनाएं

i) ये विनियम ऐसी समस्त नवीकरणीय विद्युत, (एतस्मिनपश्चात् जिन्हें आर.ई. के रूप में संदर्भित किया गया है) परियोजनाओं को प्रयोज्य होंगे, जिन्होंने 1ली अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2022 तक वाणिज्यिक संचालन हेतु तिथि अर्जित कर ली है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित हैं और वितरण अनुाप्तिधारियों को दीर्घ अवधि के लिए विद्युत आपूर्ति करता हो।

ii) ये विनियम उन नवीकरणी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी लागू होंगें जो विनियम 4 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड को पूरा करें।

3.2 स्थापित परियोजनाएं

i) ऐसी स्थापित बायोमास परियोजनाएं जिनका वितरण अनुज्ञप्तिधारी से 20 वर्ष या अधिक अवधि हेतु दीर्घावधि विद्युत अनुबंध है, जिन्होंने 01 अप्रैल 2012 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन हेतु तिथि अर्जित कर ली है उन पर प्रयोज्य टैरिफ (निश्चित प्रभार),आयोग की याचिका क्र. 22, सन् 2011 (T) द्वारा शासित होंगें , और विद्युत प्रभारों को इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिनिश्चित किया जाएगा।

ii) नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं जिनका वितरण अनुज्ञाप्तिधारी से 20 वर्ष या अधिक अवधि हेतु दीर्घावधि विद्युत अनुबंध है, जिन्होंने 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के मध्य वाणिज्यिक संचालन हेतु तिथि अर्जित कर लिया है उन पर प्रयोज्य टैरिफ (निश्चित प्रभार), आयोग द्वारा समय–सयम पर जारी किए गए संबंधित टैरिफ आदेशों टैरिफ अवधि के दौरान शासित होंगे और विद्युत प्रभारों को इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिनिश्चित किया जाएगा।

4. **पात्रता मानदण्ड–**

निम्नलिखित परियोजनाए जिनका वाणिज्यिक प्रचालन (COD) की तिथि 1 अप्रैल 2019 के उपरांत अर्जित करती हैं, वह इन विनियमों के अंतर्गत पात्र होंगे

4.1 **पवन विद्युत परियोजना–** ऐसी नवीन विद्युत परियोजनाएं जो नये संयंत्र और मशीनों का उपयोग करते हैं ।

4.2 **जल विद्युत परियोजनाएं**

i. सूक्ष्म/अतिसूक्ष्म/लघु जल विद्युत परियोजनाएं– जो राज्य संपर्क अभिकरण/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानों पर अवस्थित हैं, नवीन संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती है।

ii. 25 मे.वा. से ऊपर बड़े जल विद्युत परियोजनाएं

4.3 **बायोमास विद्युत परियोजना जो रैंकिन साईकल तकनीक पर आधारित हैं–** नवीन बायोमास विद्युत परियोजनाएं जो रैंकिन साईकल तकनीक पर आधारित नवीन संयंत्र और मशीन का उपयोग करती है और बायोमास ईंधन स्त्रोंतों का उपयोग करती है। परन्तु, ऐसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग इन विनियमों के, विनियम 40 के अधीन निश्चित सीमा के भीतर करती हैं।

4.4 **गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजना–** गैर जीवाश्म ईंधन आधारित नई सह–उत्पादन परियोजनाएं, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजना के रूप में अभिहित होने के लिए अर्ह होंगी, यदि वे नये संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हैं और परिभाषा के अनुरूप हैं।

4.5 **सौर पी.व्ही, सौर तापीय विद्युत परियोजनाएं, सौर छतोपरि पी.व्ही. प्रणलियॉ और लघु सौर विद्युत परियोजनाएं–**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तकनीकों पर आधारित परियोजनाएं ।

4.6 **नगरपालिका ठोस अपशिष्ट** (Municipal Solid Waste) **आधारित विद्युत परियोजनाएं** – ऐसी परियोजना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ठ आधारित विद्युत परियोजना के रूप में अभिहित होने के लिए अर्ह होंगी, यदि वे नये संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हैं और ईंधन स्त्रोंत के रूप में नगरपालिका ठोस अपशिष्ठ का उपयोग करती है।

4.7 **कचरा निष्पन्न ईंधन** (Refuse Derived Fuel) **आधारित विद्युत परियोजनाएं** – ऐसी परियोजना, कचरा निष्पन्न ईंधन आधारित विद्युत परियोजना के रूप में अभिहित होने के लिए अर्ह होंगी, यदि वे नये संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करती हैं और ईंधन स्त्रोंत के रूप में कचरा निष्पन्न ईंधन का उपयोग करती है।

अध्याय–1
सामान्य सिद्धांत

5. नियंत्रण अवधि अथवा पुनरीक्षण अवधि–

5.1 इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि अथवा पुनरीक्षण अवधि तीन (3) वर्ष की होगी। नियंत्रण अवधि का पहला वर्ष 1ली अप्रैल 2019 से प्रारंभ होगा ।

परन्तु यह भी कि नियंत्रण अवधि के दौरान वाणिज्यिक संचालन की दिनांक प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन विनियमों के अनुसार निर्धारित टैरिफ, नीचे विनियम 6 में विनिर्दिष्ट टैरिफ अवधि के संपूर्ण दौरान पर प्रयोज्य होता रहेगा।

परन्तु यह और भी कि अगली नियंत्रण अवधि के लिए विनियमों में संशोधन पहले नियंत्रण अवधि के अंत से छः माह पहले किया जाएगा और अगली नियंत्रण अवधि के लिए संशोधन अधिसूचित नहीं कर दिए जाते, पुनरीक्षित विनियमों के अनुसार समायोजनों के अध्यधीन रहते हुए, इन विनियमों के अनुसार टैरिफ मापदंड प्रयोज्य बने रहेंगे।

6. टैरिफ अवधि–

6.1 नए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं की टैरिफ अवधि, उसके उपयोगी जीवन काल जो कि विनियम 2.1 (ज्ञ) में परिभाषित की गई है।

6.2 इन विनियमों के अधीन, टैरिफ अवधि, नवीकरणीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों के वाणिज्यिक संचालन की दिनांक से विचार में लिए जाएंगे।

6.3 इन विनियमों की धारा 6.1 और 6.2 के अनुसार, निर्धारित टैरिफ अवधि के लिए नवीनीकरण ऊर्जा विद्युत योजनाओं पर प्रायोज्य होंगे।

7. मूल टैरिफ–

7.1 लघु जल, सौर पी.व्ही. और सहउत्पादन परियोजनाओं के लिए आयोग मूल पूर्वता (जैनेरिक प्रिफरेन्शियल) टैरिफ नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित करेगा।

7.2 मूल टैरिफ के विलम्ब होने की स्थिति में, संबंधित वर्ष के लिए केन्द्रिय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ, प्रावधिक टैरिफ होगा। अंतर तद्नुसार समायोजित किया जाएगा।

8. परियोजना विशेष के लिए टैरिफ–

8.1 प्रकरण दर प्रकरण आधार पर परियोजना विशेष के लिए टैरिफ, आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रकार की परियोजनाओं हेतु निर्धारित किए जाएंगे;

i) पवन ऊर्जा

ii) 25 मे.वा. क्षमता से अधिक जल विद्युत परियोजनाएँ

iii) सौर तापीय

iv) रैनकिन साइकल तकनीक पर आधारित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और कचरा निष्पन्न ईंधन परियोजनाऐं।

v) इन विनियमों में चिन्हित के अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य नवीन, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकें

vi) संकर सौर तापीय विद्युत संयंत्र

vii) बायोमास परियोजनाएं

viii) पुराने संयंत्र और मशीनी का उपयोग करके चालू की गई कोई उत्पादन इकाई/स्टेशन

ix) कोई परियोजना, यदि अनुज्ञप्तिधारी/विकासकर्ता परियोजना विशेष का टैरिफ चाहता हो,

8.2 ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतों से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजना विशेष टैरिफ का निर्धारण विनियम/आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित शर्तो एवं नियमों के अनुसार होगा।

परंतु, 25 मे.वा. के ऊपर जल विद्युत परियोजनाएँ के लिए परियोजना विशेष टैरिफ का मानदण्ड छ.ग.रा. वि.नि. आयोग (सीएसईआरसी) के बहुवर्षिय टैरिफ (एमवाईटी टैरिफ) के अनुसार होगा।

8.3 आगे, ऐसी परियोजनाओं के लिए जिन्हें इस विनियम के प्रारंभ होने से पूर्व, प्राविधिक टैरिफ प्रदान किए जा चुके है और जो सामान्य टैरिफ का विकल्प देते हैं, प्रावधिक टैरिफ के प्रति उत्पादक को भुगतान किया जा चुका है, उसका समायोजन राज्य सरकार को भुगतान किए गए वैधानिक प्रभारों को घटाकर छहः बराबर किश्तों में किया जाएगा।

यदि ऐसी परियोजना द्वारा परियोजना विशेष को टैरिफ का विकल्प चूना जाता है तो ऐसा अर्जित राजस्व परियोजना की लागत पूंजी में से सैट ऑफ किया जाएगा।

8.4 इन विनियमों के अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट वित्तीय मानदंड, परियोजना प्रारंभ होने के संबंधित वर्ष हेतु, लागत पूंजी को छोड़कर, सीलिंग प्रतिमान होंगे।

8.5 बायोमास परियोजनाओं/सह–उत्पादन और अन्य परियोजनाएँ जिनमें ईधन लागत घटक होता है के प्रकरण में, (अदृढ़ विद्युत या इंफर्म पावर) की दर ऊर्जा (परिवर्तनीय) प्रभारों के समतुल्य होगी। ऐसी अन्य परियोजनाओं, जिनमें ईधन लागत घटक नहीं होता, अदृढ़ विद्युत या इंफर्म पावर की दर वैधानिक प्रभारों जैसे जल प्रभारों, ड्यूटी, सेस के समतुल्य होगी, जो वास्तव में राज्य सरकार को भुगतान की गई हो। ऐसे अदृढ़ विद्युत या इंफर्म पॉवर भी अनुज्ञप्तिधारी की नवीकरणी क्रय दायित्व आवश्यकताओं को पूर्ण करन योग्य होगी।

8.6 **टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिकाएं और कार्यवाहियॉ–**

आयोग स्वतः अपनी याचिका के आधार पर नियंत्रण अवधि के छः माह के पूर्व प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ होने पर अग्रेतर रूप से उन नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए जिनके लिए इन विनियमों में मानदंड विनिर्दिष्ट किए जा चुके हैं, मूल (जैनेरिक) टैरिफ निर्धारित कर सकेगा।

8.7 परियोजना विशेष के टैरिफ की याचिका के साथ वैसा शुल्क दिया जाएगा, जैसा कि सुसंगत विनियमों में निर्धारित किया जाए और साथ में निम्नानुसार दिए जाएंगे:

i) यथास्थिति प्रपत्र 1.1, 1.2, 2.1 और 2.2 में जानकारी और इन विनियमों से यथा संलग्न;

ii) तकनीकी और संचालन विवरणों की रूपरेखा देते हुए परियोजना प्रतिवेदन, सलि विशेष क पहलू, लागत पूंजी आधार और वित्तीय योजना आदि;
परंतु स्थापित परियोजनाओं के लिए, पिछला टैरिफ ऑर्डर पूँजीगत लागत और वित्तीय का आधार बनेगा।

iii) सकल स्थिर परिसंपत्ति के पेटे लागत पूंजी के प्रमाण के तौर पर प्रेक्टिस कर रहे सनदी लेखापाल/लागत अंकेक्षक की ओर से प्रमाणपत्र जिसमें कोष, उधार, साम्या और यदि कोई हों तो सबसीडी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए;

iv) समस्त प्रयोज्य शर्तो और दशाओं का विवरण और जिस अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण किया जाना है, उसके लिए अनुमोदित व्यय;

v) प्राप्त किसी सबसीडी या प्रोत्साहन की गणना का पूरा ब्यौरा देते हुए विवरण, जिसमें केन्द्र सरकार और/या राज्य सरकार से शोध्य या शोध्य माने जा सकने वाली राशियॉ सम्मिलित की जाएं;

vi) ऐसी अन्य जानकारी जिसकी याचिकाकर्ता की ओर से आयोग द्वारा याचिका के निराकरण हेतु आयोग द्वारा वांछा दी जाएं;

vii) सी.यू.एफ से संबंधित डाटा को सम्मिलित करते हुए तकनीकी डाटा।

8.8 टैरिफ संरचना के निर्धारण की कार्यवाहियॉ इस आयोग के कार्य संचालन विनियमों के अनुरूप होंगी।

8.9 परियोजना विशेष टैरिफ का निर्धारण परियोजना के उपयोगी जीवन काल के लिए होगा और स्तरीकृत टैरिफ होगा।

9. टैरिफ संरचना–

9.1 नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए टैरिफ, एकल भाग टैरिफ होगा, जिसमें निम्नानुसार निश्चित लागत घटक सम्मिलित होंगे–

i) साम्या पर प्रतिफल (Return on equity);

ii) ऋणपूंजी पर ब्याज (Interest on loan capital);

iii) अवमूल्यण (Depreciation);

iv) कार्यशील पूंजी पर ब्याज (Interest on working capital);

v) संचालन और संधारण व्यय(Operation and maintenance expenses);

परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के साथ ईंधन लागत का घटक, जैसे बायोमास विद्युत पिरयोजनाएं और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियाजनाएं, भी जुड़ा है तो दो घटकों के साथ एकल–भाग टैरिफ अर्थात् स्थिर लागत घटक और ईंधन लागत घटक निर्धारित किए जाएंगे।

10. टैरिफ रूपांकन–

10.1 टैरिफ अवधि के लिए मूल टैरिफ का निर्धारण परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के वर्ष को विचार में लेते हुए स्तरीकृत (levellised) आधार पर किया जाएगा।

परन्तु, दो घटक वाली नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों के लिए टैरिफ का निर्धारण स्थिर लागत घटक के लिए परियोजना के वाणिज्यिक संचालन तिथि के वर्ष को विचार में लेते हुए स्तरीकृत आधार पर किया जाएगा, जबकि ईंधन लागत घटक को संचालन के वर्ष के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

10.2 स्तरीकृत टैरिफ के संगणना के उद्देश्य से कर उपरांत भारित औसत पूंजीलागत के समतुल्य डिस्काउन्ट फैक्टर विचार में लिया जाएगा।

10.3 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के लिए स्तरीकरण निकाला जाएगा ।

परन्तु, ऐसे नवीकरणीय विद्युत संयंत्र जैसा की विनियम 3.2(i) विनिर्दिष्ट है और ऐसे संयंत्रों जिनका परियोजना विशेष टैरिफ निर्धारित हो चुका है, के लिए कोई टैरिफ स्तरीकरण नहीं निकाला जाएगा और टैरिफ 5 वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

10.4 सौर, पवन और लघु जल परियोजना के संबंध में जो प्रकृति पर निर्भर हैं, वार्षिक आधार पर अतिरिक्त उत्पादन, मानक क्षमता उपयोगिता कारक/संयंत्र भार कारक से अधिक अथवा ऊर्जा जैसा कि विद्युत क्रय अनुबंध में विनिर्दिष्ट है, जैसा भी लागू हो, को प्रभावी दर के 75 प्रतिशत पर क्रय किया जाएगा।

11. नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोंतों से विद्युत उत्पादन के लिए प्रेषण–सिद्धांत

11.1 समस्त नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को 'अवश्य चलने वाले' (Must-run) विद्युत संयंत्र के रूप में माना जाएगा और उन पर गुणताक्रम प्रेक्षण सिद्धांत (Merit order dispatch principle) लागू नहीं किए जाएगा।

11.2 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी विनियमों में निहित होते हुए भी, बायोमास विद्युत उत्पादन केन्द्र और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादक संयंत्र, को छोड़कर समस्त नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों पर अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) और Deviation Settlement लागू नहीं किए जाएंगे।

परंतु, राज्य के भितर बहु हितग्राहियों को बिजली की आपूर्ति की जाती है तो, अनुसूचीकरण (शेड्यूलिंग) और Deviation Settlement लागू किए जाएंगे।

अध्याय–2

वित्तीय सिद्धांत

12. पूंजीगत लागतः–

12.1 बाद के तकनीक विशेष हेतु अध्यायों में यथा विनिर्दिष्ट पूंजीगत लागत के मानदण्डों में समस्त केन्द्रीय कार्यो का समावेश होगा जिसमें संयंत्र और मशीन, सिविल कार्य प्रतिष्ठापन और संचालन, वित्त पोषण लागत, प्रारंभिक और संचालन पूर्व के व्यय, निर्माण के दौरान ब्याज, और अंतर्संयोजन बिन्दु तक इवेक्यूएशन अधोसंरचना सम्मिलित है।

परन्तु, परियोजना विशेष के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु उत्पादन कंपनी पूंजीगत लागत का खण्डवार विवरण अपनी याचिका के साथ विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से करेगी।

12.2 मूल पूर्वता (जैनेरिक प्रिफरेन्शियल) टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य के लिए, सौर पी.व्ही संयंत्रों को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में पूंजीगत लागत, नियंत्रण अवधि के वर्षो के लिए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

13. ऋण–साम्यापूंजी अनुपात (Debt Equity Ratio)–

13.1 मूल टैरिफ के स्वतः निर्धारण के लिए ऋण साम्यापूंजी अनुपात 70:30 विचारणीय होगा।

13.2 परियोजना विशेष टैरिफ के लिए, यदि वस्तुतः लगायी गई साम्या पूंजीगत लागत की 30 प्रतिशत से अधिक है तो 30 प्रतिशत से अधिक होनी वाली साम्या को प्रतिमानकीय ऋण के रूप में माना जाएगा ।

परन्तु, जहॉ वास्तव में लगायी गई पूंजी, पूंजीगत लागत की 30 प्रतिशत से कम है वहॉ वास्तिक साम्या को टैरिफ के निर्धारण हेतु विचार में लिया जाएगा;

परन्तु, यह और भी कि विदेशी मुद्रा में निवेशित ऋण/साम्या को प्रत्येक निवेश की दिनांक पर भारतीय रूपयों में वे नामांकित/पदांकित किया जाएगा।

14. ऋण तथा वित्त प्रभार–

14.1 टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से 13 वर्ष की ऋण अवधि विचार में ली जाएगी।

14.2 उपर दर्शित रीति से प्राप्त ऋणों को ऋण पर ब्याज की गणना हेतु सकल प्रतिमानकीय ऋण माना जाएगा। प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल को बकाया प्रतिमानकीय ऋण निकालने के लिए

सकल प्रतिमानकीय ऋण में से पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च तक संचयी भुगतान को घटा दिया जाएगा।

14.3 टैरिफ की संगणना के उद्देश्य से प्रतिमानकीय ब्याज दर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेतु टैरिफ निर्धारण के पूर्ववर्ती छः महिने को प्रचलित MCLRE दर (1 वर्ष अवधि)+200 आधार बिन्दु (basis point) के रूप में विचारणीय होगी।

14.4 उत्पादन कंपनी द्वारा ली गई किसी आस्थगन अवधि के होते हुए भी ऋण का पुनर्भुगतान परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के पहले वर्ष से विचार में लिया जाएगा और अनुमत किए गए वार्षिक मूल्यह्रास के बराबर होगा।

परन्तु, राज्य डिस्कॉम के साथ विद्युत क्रय अनुबंध रखने वाले मौजूदा बायोमास संयंत्र, जिनके लिए आयोग ने परियोजना विशेष टैरिफ हेतु विकल्प के लिए पूर्वता टैरिफ निर्धारित किया है। उनके लिए सुसंगत आदेशों में विनिर्दिष्ट ऋण और वित्त प्रभार विचार में लिए जाएंगे।

15. मूल्यह्रास (Depreciation)–

15.1 मूल्यह्रस के उद्देश्य से मूल्य आधार, आयोग द्वारा अनुमत की गई परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत होगी। परिसंपत्तियों का अवशेष मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा मूल्यह्रास, परिसंपत्तियों की पूंजीलागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुमत होगा।

15.2 टैरिफ अवधि के प्रथम 13 वर्षो के लिए मूल्यह्रास की दर 5.28 प्रतिशत वार्षिक की रहेगी और शेष मूल्यह्रास को 14वें वर्ष के बाद से परियोजना की शेष उपयोगी जीवन अवधि **के** दौरान 'सीधी रेखा' विधि से विस्तारित किया जाएगा।

15.3 मूल्यह्रास वाणिज्यिक संचालन के पहले वर्ष से प्रभारणीय होगा।

परन्तु, परिसंपत्ति के वर्ष के किसी भाग के दौरान वाणिज्यिक संचालन के प्रकरण में मूल्यह्रास अनुपातिक (प्रोरेटा) आधार पर प्रभारित होगा।

16. साम्या पर प्रतिफल (Return on equity)–

16.1 साम्या के लिए मूल्य आधार पूंजी लागत का 30 प्रतिशत अथवा वास्ताविक साम्या (परियोजना विशेष के टैरिफ निर्धारण की दशा में) विनियम, 13 के अधीन निर्धारित किए अनुसार होगा।

16.2 साम्या पर प्रतिमानकीय प्रतिफल परियोजना के पूरे **उपयोगी जीवनकाल तक** 16 प्रतिशत होगा, जिसे कि पिछले वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित MAT से Gross up किया जाऐगा

परन्तु, राज्य डिस्कॉम के साथ विद्युत क्रय अनुबंध रखने वाले मौजूदा बायोमास संयंत्र, जिनके लिए आयोग ने परियोजना विशेष टैरिफ हेतु विकल्प के लिए पूर्वता टैरिफ निर्धारित किया है अथवा परियोजना विशेष टैरिफ के लिए हितग्राही/अनुज्ञप्तिधारी का विकल्प दिया है, वहाँ साम्या पर प्रतिफल, सुसंगत आदेशों सह–पठित इन विनियमों के विनियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों में दर्शाएं अनुसार विचार में लिया जाएगा।

17. कार्यशील पूंजी पर ब्याज –

17.1 पवन ऊर्जा परियोजनाओं, लघु जल विद्युत, सौर पी.व्ही. और सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में कार्यशील पूंजी आवश्यकता की संगणना निम्नानुसार की जाएगीः –

i. एक माह के लिए संचालन और संधारण व्यय;

ii. प्रतिमानकीय सी.यू.एफ. पर परिगणित विद्युत विक्रय के दो माह के विद्युत प्रभारों के समतुल्य प्राप्तव्य;

iii. संचालन और संधारण व्यय के 15 प्रतिशत की दर से संधारण अतिरिक्त (स्पेयर).

बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं, और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, **कचरा निष्पन्न ईंधन** के संबंध में कार्यशील पूंजी की संगणना निम्नानुसार की जाएगीः –

i. प्रतिमानकीय संयंत्र भार कारक के समतुल्य चार माह के लिए ईंधन की लागत;

ii. एक माह के लिए संचालन और संधारण व्यय;

iii. लक्षित संयंत्र भार कारक पर परिगणित विद्युत विक्रय से दो माह के समतुल्य स्थिर और परिवर्तनीय प्रभार–प्राप्तव्य;

iv. संचालन और संधारण व्यय के 15 प्रतिशत की दर से संधारण अतिरिक्त (स्पेयर).

17.2 टैरिफ की संगणना के उद्देश्य से प्रतिमानकीय ब्याज दर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेतु टैरिफ निर्धारण के पूर्ववर्ती छः महिने को प्रचलित MCLRE दर (1 वर्ष अवधि)+300 आधार बिन्दु (basis point) के रूप में विचारणीय होगी।

18. संचालन और संधारण व्यय–

18.1 संचालन और संधारण व्ययों में मरम्मत और रख–रखाव, कर्मचारियों पर व्यय सहित स्थापना, और प्रशासनिक तथा बीमा सहित सामान्य व्यय सम्मिलित होंगे।

18.2 संचालन और संधारण व्ययों का निर्धारण टैरिफ अवधि के लिए आयोग द्वारा इन विनियमों के बाद नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों के आधार पर होगा।

18.3 इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019–20) के पहले वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय टैरिफ अवधि के लिए 5.72 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

19. छूट–

19.1 साख पत्र के माध्यम से उत्पादन कंपनी द्वारा देयकों के भुगतान पर 2 प्रतिशत की छूट अनुमत रहेगी।

19.2 जहॉ उत्पादन कंपनी द्वारा देयक प्रस्तुतिकरण के एक माह के भीतर भुगतान साखपत्र क अलावा किसी माध्यम से किए जाते हैं, वहॉ 1 प्रतिशत की छूट अनुमत रहेगी।

20. विलंबित भुगतान प्रभार–

20.1 इन विनियमों के अधीन भुगतान योग्या प्रभारों के किसी देयक का विलंब से भुगतान करने की दशा में, यदि बिलिंग दिनांक से 60 दिवस की अवधि से अधिक का विलंब किया जाता है तो उत्पादन कंपनी द्वारा 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंबित भुगतान प्रभार वसूलनीय होगा।

21. संचालन के प्रतिमान और मानदण्ड का सीलिंग प्रतिमान होनाः–

21.1 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए प्रतिमान और मानदण्ड सीलिंग मानदण्ड हैं और किसी परियोजना विकासकर्ता अथवा हितग्राही को सुधरे हुए संचालन प्रतिमानों से सहमत होने के लिए निवारित् नहीं करेंगे और जहॉ सुधरे हुए प्रतिमानों पर सहमति होगई है वहॉ ऐसे सुधरे हुए प्रतिमान/मानदण्ड परियोजना विशेष टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

22. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सबसीडी अथवा प्रोत्साहन–

22.1 आयोग द्वारा इन विनियमों के अधीन परियोजना विशेष के टैरिफ का निर्धारण करते समय उत्पादन कंपनी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के विद्युत संयंत्रों के लिए ली जा रही केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी पूंजीगत सबसीडी/प्रोत्साहन/अनुदान को विचार में लिया जाएगा; परन्तु, जहाँ केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी अधिसूचना में विशिष्टता: कोई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन इससे बढ़कर प्रावधानित है, वहॉ उसे टैरिफ का निर्धारण करते समय कारक नहीं बनाया जाएगा।

23. उपकर, शुल्क और जलप्रभार/वैधानिक प्रभार–

23.1 इन विनियमों के अधीन निर्धारित टैरिफ में समुचित सरकार द्वारा यथाप्रभारित उत्पादन, सहायक खपत और विद्युत विक्रय पर उपकर और शुल्क सम्मिलित नहीं होंगे।

परन्तु, समुचित सरकार द्वारा प्रभारित उपकर और शुल्क वास्तव में वहन किए गए आधार पर पासथ्रु के रूप में अनुमत होंगे।

लघु जल विद्युत संयंत्र के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वसूल किए गए जल प्रभारों को टैरिफ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इनका भुगतान पृथक से किया जाना है और उन्हें वास्तविक वहन किए गए आधार पर पासथ्रु (pass through) कर दिया जाएगा।

24. सी.डी.एम. लाभों का बंटवारा–

24.1 उन परियोजनाओं के लिए, जिनका टैरिफ उस परियोजना विशेष हेतु आयोग ने अभिनिर्धारित किया हो, अनुमोदित सी.डी.एम. योजना से होने वाली प्राप्तियों को निम्नलिखित रीति से उत्पादन कंपनी और संबंधित लाभार्थियों के मध्य वितरित किया जायेगा:–

- उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के दिनांक के पश्चात् प्रथम वर्ष में सी. डी.एम. लाभ के लेखे प्राप्त हुई सकल प्राप्तियॉ अर्थात शत प्रतिशत प्राप्तियॉ परियोजना संस्थापित करने वाले द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
- इसके अगले वर्ष लाभार्थियों का अंश 10 प्रतिशत होगा, जो आगे आने वाले वर्षो में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से तब तक बढ़ाया जाएगा, जबतक की वह 50 प्रतिशत न हो जाए। इसके पश्चात् इन प्राप्तियों को समान अनुपात में उत्पादन कंपनी तथा लाभार्थियों के मध्य बांटा जाएगा।

अध्याय–3
पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेष प्राचल (पैरामीटर)

25. **पूंजीलागत–**

25.1 पवन ऊर्जा परियोजना के लिए पूंजीलागत में इसके सहायक उपस्करों सहित विन्ड टारबाईन जनरेटर, भूमि का मूल्य, स्थल विकास प्रभार और अन्य सिविल कार्य, परिवहन प्रभार, अंतर्संयोजन बिन्दु तक निकासी लागत, वित्तीय प्रभार और आई.डी.सी. सम्मिलित होंगे।

25.2 पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजी लागत रूपये 5.25 करोड़ /मेगावॉट (नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान वित्तीय वर्ष 2019–2020 में) होगी और विनियम 12.2 के अधीन दर्शित अनुसार प्रत्येक बाद के वर्ष में प्रारंभ होने वाली परियोजनाओं के लिए पुनरीक्षित की जाएगी।

26. क्षमता उपयोगिता कारक–

26.1 इस नियंत्रण अवधि हेतु क्षमता उपयोगिता कारक निम्नानुसार रहेंगेः–

वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व (डब्लयू/एम2)	क्षमता उपयोगिता कारक
220 तक	22%
221–275 तक	24%
276–330 तक	28%
331–440 तक	33%
440 से उपर	35%

26.2 उपर्युक्त विनियम 26.1 में विनिर्दिष्ट वार्षिक औसत पवन विद्युत घनत्व 100 मीटर की हब ऊंचाई पर नापा जाएगा।

26.3 पवन ऊर्जा परियोजना के विशिष्ट क्षेत्र श्रेणी में वर्गीकरण प्रयोजन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा–निर्देशानुसार पवन मास्ट या तो एनआईडब्ल्यूई द्वारा लगाया जाएगा अथवा किसी निजी विकाकर्ता द्वारा लगाया जाएगा और उसका वैधिकरण एनआईडब्ल्यूई द्वारा एकसार भू–भाग के लिए मास्ट–प्वांट से सभी दिशाओं में सामान्यतः 10 किलो मीटर तक विस्तारित किया जाएगा और जटिल भू–भाग में स्थल की जटिलता को देखते हुए समुचित दूरी तक सीमित रखा जाएगा। इस प्रकार एनआईडब्ल्यूई द्वारा वैधीकरण के आधार पर राज्य संपर्क अभिकरण को प्रस्तावित विन्ड फार्म संकुल के जोन को प्रमाणित करना चाहिए।

27. **संचालन और संधारण व्यय–**

27.1 प्रचलित बाजार के जानकारी के अनुसार, आयोग केवल परियोजना विशेष संचालन एवं संधारण निर्धारित करेगा।

अध्याय–4

लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशिष्ट प्राचल

28. पूंजीलागत–

28.1 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए नियंत्रण अवधि (अर्थात् वर्ष 2019–20)के प्रथम वर्ष के दौरान प्रतिमानकीय पूंजीलागत निम्नानुसार होगी:

परियोजना का आकार	पूंजीलागत (रूपये लाख प्रतिमेगावॉट)
5 मेगावॉट तक	880
5 मेगावॉट के ऊपर से 25 मेगावॉट तक	800

इसमें विद्युत की निकासी के लिए पारेषण लाईनों को को बिछाने की लागत भी सम्मिलित है।

28.2 1ली अप्रैल, 2012 के पूर्व वाणिज्यिक संचालन की दिनांक प्राप्त करने वाले लघु जल विद्युत संयंत्रों की लागत पूंजी आयोग के संबंधित अनुमोदित आदेशों से शासित होगी।

29. क्षमता उपयोगिता कारक–

29.1 मूल टैरिफ के निर्धारण के लिए लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए क्षमता उपयोग कारक 30 प्रतिशत रहेगा। परियोजना विशेष टैरिफ के लिए, क्षमता उपयोग कारक, आयोग द्वारा प्रकरणवार आधार पर अभिनिश्चित किए जाएंग।

30. सहायक खपत–

30.1 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिमानकीय सहायक खपत 1.5 प्रतिशत होगी।

31. संचालन और संधारण व्यय–

31.1 नियंत्रण अवधि (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019–20) के लिए प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय निम्नानुसार होंगे–

परियोजना का आकार	संचालन और संधारण व्यय (रूपये लाख प्रतिमेगावॉट)
5 मेगावॉट तक	32.41
5 मेगावॉट के ऊपर से 10 मेगावॉट तक	28.41
10 मेगावॉट के ऊपर से 25 मेगावॉट तक	23.47

31.2 इन विनियमों के अधीन अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय का परिवर्धन 5.72 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से टैरिफ अवधि हेतु किया जाएगा।

32. सूक्ष्म/अतिसूक्ष्म (मिनी/माइक्रो) परियोजनाएं–

32.1 सूक्ष्म/अतिसूक्ष्म (मिनी/माइक्रो) जल विद्युत परियोजनाओं हेतु टैरिफ, रूपये 0.50/किलावॉट अथवा अन्य उच्चतर राशि जिसे आयोग लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु समय–समय पर मूल प्रयोज्य टैरिफ के रूप में अभिनिश्चित करे, से अधिक होगा। तथापि, यह ऐसे विकासकर्ताओं/अनुज्ञप्तिधारियों के लिए प्रयोज्य नहीं होगा जो परियोजना विशेष के टैरिफ का विकल्प देते हैं और नहर आधारित परियोजनाओं पर भी प्रयोज्य नहीं होगा।

अध्याय–5

रेनकिन साईकल तकनीक पर आधारित बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेष प्राचल

33. **तकनीकी पहलू–**

33.1 यहाँ विनिर्दिष्ट टैरिफ निर्धारण के प्रतिमान, रेनकिन साईकल तकनीक पर आधारित जल प्रशीतित संघनित्र का उपयोग करने वाली बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए हैं।

34. **पूंजीलागत और पूंजीलागत सूचकांकन प्रणाली–**

34.1 बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए, प्रचलित बाजार के प्रवृत्ति के अनुसार, आयोग केवल परियोजना विशेष पूंजी लागत और टैरिफ निर्धारित करेगा।

35. **प्रयोजन क्षमता उपयोगिता कारक एवं प्रभार की वसूली (स्थिर और ऊर्जा)–**

35.1 टैरिफ के स्थित प्रभार घटक का निर्धारण करने के लिए थ्रेस होल्ड **क्षमता उपयोगिता कारक** होगा–

अ) स्थिरिकरण के दौरान– 60 प्रतिशत

ब) प्रथम वर्ष की शेष अवधि के दौरान (स्थिरिकरण के बाद)– 70 प्रतिशत

स) दो वर्ष के पश्चात् – 80 प्रतिशत

35.2 स्थिरिकरण की अवधि परियोजना के चालू होने की तिथि से छः महिने से अधिक नही होगी।

36. **सहायक खपत–**

36.1 टैरिफ के निर्धारण के लिए सहायक विद्युत खपत 10 प्रतिशत विचार में ली जाएगी।

37. **स्टेशन ऊष्मा दर–**

37.1 बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए स्टेशन ताप दर 4000 किलो कैलोरी प्रति किलावॉट घंटा होगी।

38. **संचालन और संधारण व्यय–**

38.1 नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष हेतु (अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए) प्रतिमानक संचालन और संधारण व्यय रूपये 44.7 लाख प्रतिमेगावॉट होंगे।

38.2 टैरिफ अवधि के प्रारंभ होने पर अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों को नियंत्रण अवधि के परवर्ती वर्षो के लिए 5.72 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

39. **ईंधन–**

39.1 बायोमाास विद्युत संयंत्रों का रूपांकन इस प्रकार किया जाएगा जिससे वे बायोमास विद्युत परियोजना के क्षेत्र के भीतर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के गैर जीवाश्म ईंधनों, जैसे फसल के अवशेष, कृषि आद्यौगिक अवशेष, वन अवशेष और अन्य नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित बायोमास ईंधनों का उपयोग कर सकें।

39.2 बायोमास विद्युत उत्पादन कंपनियां, संबंधित परियोजना की ईंधन आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ईंधन प्रबंधन योजना लागू करेंगें और हितग्राही को प्रस्तुत करेंगें।

40. जीवाश्म ईंधन–ईंधन मिश्रण का उपयोग–

40.1 जीवाश्म ईंधन का उपयोग की अनुमति नही दी जाएगी।

परंतु वह बॉयोमास विद्युत संयंत्र जो कि दिनांक 31.03.2019 को या उससे पहले चालू हुवें हैं, 15 प्रतिशत की सीमा तक या वार्षिक आधार पर कैलोरी मूल्य के संदर्भ में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित जीवाश्म ईंधन की अनुमति चालू करने की तिथि से टैरिफ अवधि के लिए दी जाएगी।

41 जीवाश्म ईंधन/बॉयोमास ईंधन के उपयोग हेतु निगरानी प्रणाली–

41.1 परियोजना विकासकर्ता द्वारा एक मासिक ईंधन प्राप्ति विवरण और मासिक ईंधन उपयोग विवरण, सनदी लेखापाल (Chartered Accountant)/(Cost Accounted) द्वारा विहित रूप से प्रमाणित करा कर हितग्राही को उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें, जिसके साथ विद्युत क्रय अनुबंध किया जा चुका है उसके वांछित समाधान के लिए आवश्यक संपूर्ण ब्यौरें मासिक विद्युत देयक के साथ प्रत्येक माह उपलब्ध कराए जाएंगे (इसकी एक प्रति समुचित अभिकरण अर्थात् क्रेडा को अंकित की जाएगी, जिसे आयोग द्वारा जीवाश्म और गैर जीवाश्म ईंधन खपत की निगरानी के उद्देश्य से नियुक्त गया है)। इस विवरण में निम्नांकित ब्यौरे सम्मिलित किए जाएगें, जैसे कि–

i. ईंधन क्रय के स्त्रोत,

ii. प्रत्येक प्रकार की ईंधन के लिए प्रांरभिक ईंधन भंडार की मात्रा (टन में);

माह के दौरान प्रत्येक प्रकार की ईंधन हेतु विद्युत संयंत्र के स्थल पर प्राप्त ईंधन की मात्रा (टन में);

iv. विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से उस माह के दौरान प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास ईंधन और जीवाश्म ईंधन) के ईंधन की खपत–मात्रा (टन में);

v. माह के अंत में विद्युत संयंत्र के स्थल पर उपलब्ध प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास ईंधन और जीवाश्म ईंधन) के ईंधन की शेष–भंडार मात्रा (टन में);

vi. वित्तीय वर्ष के दौरान उस माह के अंत तक प्राप्त की गई प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास ईंधन और जीवाश्म ईंधन) के ईंधन की संचयी–मात्रा (टन में);

vii. वित्तीय वर्ष के दौरान उस माह के अंत तक खपत की गई प्रत्येक ईंधन प्रकार (बायोमास ईंधन और जीवाश्म ईंधन) के ईंधन की संचयी–मात्रा (टन में);

viii. माह के दौरान वास्तविक (सकल और शुद्ध, विद्युत उत्पादन) लाख युनिट में व्यक्त किया गया;

ix. वित्तीय वर्ष के दौरान उस माह के अंत तक किया गया संचयी वास्तविक (सकल और शुद्ध, विद्युत उत्पादन) लाख युनिट में व्यक्त किया गया।

41.2 उस दशा में जब पदांकित अभिकरण संतुष्ट हो जाता है, के उत्पादनकर्ता उस स्थिति में पहुंच गया है जहॉ वार्षिक आधार पर (वित्तीय वर्ष) ईंधन मिश्रण मानदण्ड का अनुपालन संभव नहीं है, वह संबंधित हितग्राहियों और उत्पादनकर्ताओं को ऐसे निष्कर्षो के ब्यौरे सुचित करेगा। तदउपरांत हितग्राही उत्पादनकर्ताओं को कारण दर्शाते हुए सूचना जारी करेगा और पूर्वताकृत टैरिफ का भुगतान करने के स्थान पर इस मुद्दे पर विनियम 41.3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा। दोनों पक्षों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध में नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय द्वारा विहित अनुसार ईंधन मिश्र राशन के अनुपालन हेतु आयोग के विहित अनुमोदन से समुचित तरीके का समावेश कर लिया जाएगा।

41.3 जीवाश्म ईंधन के उपयोगी की शर्त का परियोजना विकासकर्ता द्वारा (जिसमें 1ली अप्रैल, 2019 से पूर्व और उसके बाद वाणिज्यिक संचालन की दिनांक प्राप्त कर ली है) अनुपालन न करने से ऐसी बायोमास विद्युत परियोजना इन विनियमों में निर्धारित किए अनुसार चूक के वर्ष में जब उस वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी चूक हुई है, निर्धारित पूर्वताकृत टैरिफ का लाभ उठाने के लिए अनर्ह हो जाएगी। तथापि, ऐसी चूककर्ता बायोमास विद्युत परियेाजना, चूक की अवधि के दौरान भी संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का विक्रय जारी रखेगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की दर का भरांकन औसत पूल किए गए मूल्य पर होगा, जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी नये विद्युत का क्रय किया है और उसमें यदि कोई हो तो (बायोमास संयंत्र के चूक वाले वर्ष में) स्वतः उत्पादन की लागत सम्मिलित रहेगी। परन्तु, चूक के संपूर्ण वर्ष के दौरान यथास्थिति उन्हे छोड़ दिया जाएगा, जो नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतों पर आधारित हैं और ऐसी विद्युत परियोजना हेतु आगमित अतिरिक्त भुगतान का समायोजन आगे के देयकों में छः बराबर किश्तों में किया जाएगा।

42. निगरानी अभिकरण द्वारा सांख्यिकीय और विवरणिका मांगने की शक्ति

42.1 छत्तीसगढ़ नवीकरणीय उर्जा विकास प्राधिकरण (क्रेडा) बायोमास परियोजनाओं के ईंधन मिश्र अनुपात की निगरानी करने हेतु दायित्वाधीन होगा;

42.2 क्रेडा द्वारा तकनीकी और वाणिज्यिक विवरणों सहित (जिसमें वाणिज्यिक संचालन दिनांक का वर्ष, विहित ईंधन मिश्र अनुपात, ईंधन का स्त्रोत आदि सम्मिलित है) राज्य में बायोमास परियोजनाओं की जानकारी का संधारण भी किया जाएगा और ऐसी जानकारी अपनी वेबसाईट पर त्रैमासिक रूप से अद्यतन करते हुए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी।

42.3 परियोजना विकासकर्ता द्वारा विनियम 41 के अधीन वांछित अनुसार अनुसूची प्रबंध 3.1 और 3.2 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में क्रेडा को जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

42.4 क्रेडा, विहित रूप से नोटरीकृत भापथ पत्र पर प्रत्येक बायोमास विद्युत संयंत्र के लिए (जिसने 1 ली अप्रैल, 2012 को या उससे पूर्व वाणिज्यिक संचालन का दिनांक प्राप्त कर लिया है) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बायोमास आधारित संयंत्र द्वारा जीवाश्म ईंधन और बायोमास ईंधन के उपयोग के संबंध में, एक वार्षिक प्रतिवेदन उस संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंत तक आयोग को प्रस्तुत करेगा।

42.5 क्रेडा, उसी वार्षिक प्रतिवेदन (विनियम 42.4 में यथा उल्लिखित) को, जो प्रत्येक बायोमास विद्युत संयंत्र के लिए (जिसने 1 ली अप्रैल, 2012 को या उससे पूर्व वाणिज्यिक संचालन का दिनांक प्राप्त कर लिया है) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बायोमास आधारित संयंत्र द्वारा जीवाश्म ईंधन और बायोमास ईंधन के उपयोग के संबंध में है, संपूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु हितग्राही को भी प्रतिवर्ष अप्रैल के अंत तक प्रस्तुत करेगा। किसी उत्पादन संयंत्र द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग के संबंध में पूर्व शर्त का अनुपालन और किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्दिट प्रतिशत से अधिक मात्रा में ऐसे ईंधन का उपयोग उस यंत्र को किसी अन्य ताप विद्युत उत्पादक के समकक्ष बना देगा और ऐसे संयंत्रों को दिए गए समस्त लाभ जिनमें टैरिफ भी सम्मिलित है, जो नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत हेतु दिए जाते हैं, वापस लिए समझे जाएंगे। हितग्राही द्वारा ऐसे उत्पादकों को जीवाश्म ईंधन के उपयोग के संबंध में अनुपालन हेतु नोटिस (सूचना) जारी किया जाएगा और पूर्वताकृत टैरिफ के भुगतान के बजाय इस मुद्दे पर विनियम 41.3 में दिए गए अभिव्यक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना विकासकर्ता द्वारा दीर्घकालीन ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था से संबंधित दस्तावेज हितग्राही सहित क्रेडा को प्रस्तुत की जाएगी।

43. कैलोरी मूल्य–

43.1 बायोमास विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन से बॉयोमास ईंधन का औसत कैलोरी मूल्य 3100 किलो कैलोरी प्रतिकिलो ग्राम होगा।

44. ईंधन लागत–

44.1 बायोमास ईधन का मूल्य नियंत्रण अवधि (अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2019–20) के प्रथम वर्ष के दौरान रू. 3388/– प्रति मीटरिक टन होगा ।

44.2 नियंत्रण अवधि के परवर्ती वर्षो के लिए बायोमास ईंधन का मूल्य आधार मूल्य पर पहुॅचने के लिए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

अध्याय–6

गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेष प्राचल

45. तकनीकी पहलू–

45.1 कोई परियोजना एक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियेजना के रूप में अर्हित होगी, यदि वह विनियम 4.4 के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताकारी मानदण्ड के अनुरूप हो।

46. पूंजीलागत और पूंजीलागत सूचकांकन प्रणाली–

46.1 गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के लिए प्रतिमानकीय पूंजीलागत नियंत्रण अवधि (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019–20) के प्रथम वर्ष हेतु रूपये 492.5 लाख प्रतिमेगावॉट विचार में ली जाएगी।

47. क्षमता उपयोगिता कारक–

47.1 निश्चित प्रभार निर्धारित करने के प्रयोजन से गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं का संयंत्र भार कारक नीचे विनियम 47.2 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अनुसार और 92 प्रतिशत के लोड फैक्टर पर पैराई मौसम (क्रसिंग सीजन) और गैर मौसम के दौरान संचालन दिवसों में संयंत्र की उपलब्धता के आधार पर संगणित किया जाएगा।

47.2 संचालन दिवसों की संख्या निम्नानुसार रहेगी–

संचालन दिवस	संयंत्र भार कारक(%)
90 दिवस (पेराई, क्रसिंग)+60दिवस (गैर मौसम)=150 संचालन दिवस	38%

48 सहायक खपत–

48.1 टैरिफ के निर्धारण के लिए सहायक खपत 8.5 प्रतिशत की होगी।

49. स्टेशन ऊष्मा दर–

49.1 गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन परियोजनाओं के टैरिफ निर्धारण की संगणना के लिए अकेले विद्युत उत्पादन घटक हेतु विचारणीय स्टेशन ऊष्मा दर 3600 किला कैलोरी/किलोवॉट घंटा की रहेगी।

50. कैलोरी मूल्य–

50.1 खली (बगासी) के लिए सकल कैलोरी मूल्य 2250 किलो कैलोरी प्रतिकिलोग्राम, विचारणीय होगा। खली के अलावा कोई अन्य बायोमास ईंधन के लिए विनियम 43 के अधीन विनिर्दिष्ट कैलोरी मूल्य प्रयोज्य होगा।

51. ईंधन लागत–

51.1 नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019–20) हेतु खली का मूल्य रूपये 2166 प्रति मीट्रिक टन होगा और उसके उपरांत नियंत्रण अवधि के परवर्ती वर्षो के लिए आधार मूल्य के लिए 5 प्रतिशत्त प्रतिवर्ष की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

51.2 सह–उत्पादन परियोजनाओं में खली के अलावा अन्य बायोमास के उपयोग के लिए बायोमास का मूल्य विनियम 44 के अधीन विनिर्दिष्ट किए अनुसार प्रयोज्य होगा।

स्तरीकृत (levellised) टैरिफ का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए, खली का मूल्य पर 5 प्रतिशत वार्षिक का प्रतिमानकीय परिवर्धन कारक प्रयोज्य होगा।

52. संचालन और संधारण व्यय–

52.1 नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019–20) के लिए प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्यय रूपये 23.61 लाख प्रतिमेगावॉट होगा।

52.2 इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि के प्रारंभ में अनुमत किए गए प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों को 5.72 प्रतिशत वार्षिक की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

अध्याय–7

सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेष प्राचल

53. तकनीकी पहलू–

53.1 इन विनिमयों के अधीन सौर पी.व्ही. विद्युत के लिए प्रतिमानक ग्रिड संयोजित पी.व्ही. प्रणालियों जो सीधे सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं और जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित तकनीकों जैसे– क्रिस्टलाईन सिलीकॉन अथवा पतली फिल्म आदि पर आधारित हैं, पर प्रयोज्य अनुसार होंगे।

53.2 सौर पी.व्ही. परियोजनाएं जिनकी क्षमता 0.5 मे.वा. से 2 मे.वा. और 2 मे.वा के ऊपर से 5 मे.वा. तक का मूल टैरिफ आयोग निर्धारित करेगा।

54. पूंजीलागत–

54.1 सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजना लगाने के लिए प्रतिमानकीय पूंजीलागत का निर्धारण प्रत्येक वर्ष होगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निम्नानुसार रहेगाः–

0.5 मे.वा. से 2 मे.वा. तक	**₹ 4.5 करोड़/मे.वा.**
0.2 मे.वा. के ऊपर से 5 मे.वा. तक	**₹ 4.0 करोड़/मे.वा.**

54.2 सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजना, जिन्होंने 1ली अप्रैल, 2019 से पूर्व वाणिज्यिक संचालन दिनांक प्राप्त कर लिया है, कि पूंजीलागत आयोग द्वारा संबंधित अनुमोदित आदेशों के माध्यम से, इन आदेशों के प्रवर्तन तक शासित होगी।

55. क्षमता उपयोगिता कारक–

55.1 सौर पी.व्ही. विद्युत परियोजना के लिए क्षमता उपयोगिता कारक 19 प्रतिशत होगा। परंतु विनियम 7 एवं विनियम 8 के अनुसरण में परियोजना विशेष टैरिफ निर्धारण के संबंध में आयोग उपरोक्त मानदण्डों से विचलन हो सकता है।

56. संचालन और संधारण व्यय–

56.1 संचालन के प्रथम वर्ष हेतु संचालन और संधारण व्यय रूपये 7.0 लाख प्रति मेगावॉट होगा।

56.2 इन विनियमों के अधीन टैरिफ अवधि के प्रारंभ में अनुमत प्रतिमानकीय संचालन और संधारण व्ययों को 5.72 प्रतिशत वार्षिक की दर से परिवर्धित किया जाएगा।

57. सहायक खपत

57.1 **सहायक खपत** कारक सकल उत्पादन का 0.25 प्रतिशत होगा।

परंतु विनियम 7 एवं विनियम 8 के अनुसरण में परियोजना विशेष टैरिफ निर्धारण के संबंध में आयोग उपरोक्त मानदण्डों से विचलन हो सकता है।

अध्याय–8

सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशेष प्राचल

58. तकनीकी पहलू–

58.1 इन विनियमों के अधीन सौर ताप विद्युत के लिए प्रतिमानक सांद्र सौर विद्युत तकनीकों नामतः रेखिक केन्द्रण (फोकसिंग) अथवा बिन्दु केन्द्रण, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित, और सीधे सूर्य के प्रकाश को उपयोग में लाकर इसे कई गुना सांद्र करते हुए ऊर्जा के उच्चतर घनत्व को प्राप्त करती हैं और इस प्रकार उच्चतर तापमान और उससे उत्पन्न ताप का उपयोग पारंपरिक विद्युत साईकल को चलाने में करते हैं जिससे विद्युत का उत्पादन होता है, पर प्रयोज्य होंगे।

59 पूंजीलागत–

59.1 **सौर तापीय** विद्युत परियोजनाओं के लिए, प्रचलित बाजार के प्रवृत्ति के अनुसार, आयोग केवल परियोजना विशेष पूंजी लागत और टैरिफ निर्धारित करेगा।

60. क्षमता उपयोगिता कारक–

60.1 सौर ताप विद्युत परियोजना के लिए क्षमता उपयोगिता कारक 23 प्रतिशत होगा। परंतु विनियम 7 एवं विनियम 8 के अनुसरण में परियोजना विशेष टैरिफ निर्धारण के संबंध में आयोग उपरोक्त मानदण्डों से विचलन हो सकता है।

61. संचालन और संधारण व्यय–

61.1 सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिए, प्रचलित बाजार के प्रवृत्ति के अनुसार, आयोग केवल परियोजना विशेष संचालन और संधारण व्यय निर्धारित करेगा।

62. सहायक खपत–

62.1 सहायक खपत कारक 10 प्रतिशत होगा।

परंतु विनियम 7 एवं विनियम 8 के अनुसरण में परियोजना विशेष टैरिफ निर्धारण के संबंध में आयोग उपरोक्त मानदण्डों से विचलन हो सकता है।

63. संकर सौर ताप विद्युत संयंत्र–

63.1 संकर सौर ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पूंजीलागत, सहायक खपत कारक, क्षमता उपयोग कारक, संचालन और संधारण व्यय और अन्य सुसंगत प्राचल आयोग द्वारा प्रकरणवार आधार पर अभिनिश्चित किए जाएंगे।

अध्याय–9

रेनकाईन साईकिल तकनीक पर आधारित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत परियोजनाओं/कचरा निष्पन्न ईंधन आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी विशिष्ट प्रतिमान

64. तकनीकी पहलू (Technology Aspect)

64.1 यहां विनिर्दिष्ट टैरिफ निर्धारण के मानदण्ड ऐसी विद्युत परियोजनाओं के लिए हैं जो नगरीय ठोस अपशिष्ट और कचरा निष्पन्न ईंधन का उपयोग करते है और जो रेनकाईन साईकिल तकनीक से दहन या ज्वलन, बायोमिथेनेशन, पायरोलिसिस और उच्चतर स्तर की गैसीफायर तकनीक पर आधारित हैं।

65. पूंजीगत लागत (Capital Cost)

65.1 **नगरपालिक ठोस अपशिष्ट/कचरा निष्पन्न ईंधन** विद्युत परियोजनाओं के लिए, प्रचलित बाजार के प्रवृत्ति के अनुसार, आयोग केवल परियोजना विशेष पूंजी लागत और टैरिफ निर्धारित करेगा।

66. क्षमता उपयोग कारक (Capacity Utilization Factor)

66.1 टैरिफ के स्थित प्रभार घटक का निर्धारण करने के लिए थ्रेस होल्ड क्षमता उपयोगिता कारक होगा–

अ) स्थिरिकरण के दौरान– 65 प्रतिशत

ब) प्रथम वर्ष की शेष अवधि के दौरान (स्थिरिकरण के बाद)– 65 प्रतिशत

स) दो वर्ष के पश्चात् – 75 प्रतिशत नगरपालिक ठोस अपशिष्ट परियोजनाओं के लिए और 80 प्रतिशत कचरा निष्पन्न ईंधन परियोजनाओं के लिए

66.2 स्थिरिकरण की अवधि परियोजना के चालू होने की तिथि से छः महिने से अधिक नही होगी।

67 सहायक खपत (Auxiliary Consumption)

67.1 ऐसी विद्युत परियोजनाएं जो नगरपालिक ठोस अपशिष्ट और कचरा निष्पन्न ईंधन का उपयोग करती हैं के लिए सहायक विद्युत खपत 15 प्रतिशत रहेगी।

68. केन्द्र ताप दर (Station Heat Rate)

68.1 ऐसी विद्युत परियोजनाएं जो नगरपालिक ठोस अपशिष्ट और कचरा निष्पन्न ईंधन का उपयोग करती हैं के लिए केन्द्र ताप दर 4200 किलो कैलोरी प्रति किलोवॉट अवर रहेगी।

69. संचालन और संधारण व्यय (Operation and Maintenance Expenses)

69.1 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट और कचरा निष्पन्न ईंधन विद्युत परियोजनाओं के लिए, प्रचलित बाजार के प्रवृत्ति के अनुसार, आयोग केवल परियोजना विशेष संचालन और संधारण व्यय निर्धारित करेगा।

70. कैलोरी मूल्य (Calorific Value)

70.1 टेरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से नगरपालिक ठोस अपशिष्ट और कचरा निष्पन्न ईधन का कैलोरी मूल्य 2500 किलो कैलोरी प्रतिकिलोग्राम होगा।

71. ईंधन लागत (Fuel Cost)

71.1 कचरा निष्पन्न ईंधन का मूल्य वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान रूपय 1985 प्रति मीटरिक टन रहेगा। नियंत्रक अवधि के बाद प्रत्येक पर्वत्तीय वर्ष के लिए 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष मानदण्डीय वृद्धिगत कारक, कचरा निष्पन्न ईंधन परियोजना विकास करता के विकल्प पर प्रयोज्य होगा। नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का उपयोग करने वाली विद्युत परियोजनाओं हेतु टेरिफ के निर्धारण के लिए कोई ईधन लागत विचार में नहीं ली लाएगी।

72. नगरपालिक ठोस अपशिष्ट/कचरा निष्पन्न ईंधन के उपयोग हेतु निगरानी प्रणाली (Monitoring Mechanism for the use of MSW/RDF)

72.1 परियोजना विकास करता प्रत्येक माह के लिए एक मासिक ईंधन अवाप्ति और मासिक ईंधन उपयोगता विवरण संधि लेखापाल द्वारा विहित प्रमाणिकृत, हितग्राहि अनुज्ञपतधारी को प्रस्तुत करेंगा जिसमें हितग्राहि अनुज्ञपतधारी, जिसके साथ विद्युतक्रय अनुबंध किया गया है (नगरपालिक ठोस अपशिष्ट/कचरा निष्पन्न ईधन कि खपत पर निगरानी के लिए एक प्रतिलिपि समुचित अभिकरण अर्थात क्रेडा हेतु) के समाधान हेतु सम्पूर्ण व्यौरे दिए जाएंगें। इस विवरण में निम्नलिखित जैसी जानकारियों का समावेश होगा।

i. प्रत्येक प्रकार के ईधन हेतु प्रारंभिक ईधन मात्रा का भण्डार (टन में),

ii. प्रत्येक प्रकार के ईधन हेतु, माह के दौरान विद्युत संयंत्र के स्थल पर ईंधन की मात्रा (टन में) की प्राप्ति,

iii. प्रत्येक माह के दौरान विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से प्रत्येक प्रकार के ईधन की खपत, ईधन की मात्रा (टन में),

iv. प्रत्येक प्रकार के ईधन हेतु, माह के अंत में विद्युत संयंत्र के स्थल पर ईधन के भण्डार की मात्रा (टन में),

v. प्रत्येक प्रकार के ईधन हेतु, वित्तीय वर्ष के दौरान माह के अंत तक प्राप्त की गई ईधन की कुल मात्रा (टन में),

vi. प्रत्येक प्रकार के ईधन हेतु, वित्तीय वर्ष के दौरान माह के अंत में खपत की गई ईधन की कुल मात्रा (टन में),

vii. माह के दौरान वास्तविक (सकल और शुद्ध) विद्युत उत्पादन (लाख यूनिट में प्रदर्शित),

viii. समग्र वास्तविक (सकल और शुद्ध) विद्युत उत्पादन (लाख यूनिट में प्रदर्शित) उस वित्तीय वर्ष के अंतिम माह तक

72.2 उपर्युक्त प्रावधानों के अन–अनुपालन को आयोग के ध्यान में लाया जाना है। दोनों पक्षों के बीच आयोग के विहित अनुमोदन से नगरीय ठोस अपशिष्ट/कचरा निष्पन्न ईंधन के उपयोग संबंधी अनुपालन के लिए दोनो पक्षो के बीच, विद्युत कय अनुबंध में समुचित प्रणाली का समावेश किया जाएगा।

72.3 परियोजना विकासकर्ता द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट/कचरा निष्पन्न ईंधन के उपयोग के संबंध में किसी शर्त के अन–अनुपालन करने से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना इन विनियमों के अंतर्गत उस वर्ष में, ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान जब चूक की गयी है इन विनियमों के अनुसार निर्धारित पूर्वतः टैरिफ का लाभ उठाने के लिए अनर्हित हो जाएगी। तथापि, ऐसी चूककर्ता अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना चूक की अवधि के दौरान भी संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का विक्रय जारी रखेगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की दर औसत कुल किए गए मूल्य पर भारांकित की जाएगी जिस पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत का क्रय समस्त दीर्घावधि और लघुअवधि विद्युत प्रदायकर्ताओं से किया है और उसमें स्व–उत्पादन, यदि कोई हो (अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना संयंत्र के चूक करने के वर्ष में) सम्मिलित हैं, परंतु यथा स्थिति चूक के सम्पूर्ण वर्ष हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के आधार पर तैयार विद्युत का छोड़कर और ऐसी विद्युत परियोजना को हुए अतिरिक्त भुगतान का समायोजन भविष्य के देयकों में छः समान मासिक किश्तो में कर दिया जाएगा।

73. निगरानी अभिकरण द्वारा सांख्यिकी और रिटर्नो (विवरणियां) को मंगाने की शक्ति (Power to require statistics & Returns by Monitoring Agency)

73.1 बायोमास परियोजनाओं के ईंधन मिश्र अनुपात के अनुपालन की निगरानी हेतु छत्तीसगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) दायित्वाधीन रहेगा।

73.2 नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ऐसे डाटा, जिसमें राज्य के भीतर अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं का तकनीकी और वाणिज्यिक विवरण सम्मिलित है (वाणिज्यिक संचालन की दिनांक का वर्ष, ईंधन के उपयोग, ईंधन के स्रोत आदि सहित) के डाटा का भी संधारण करेगा और इस डाटा को त्रैमासिक रूप से अद्यतन करते हुए अपनी वेबसाईट पर प्रकाशित करके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा।

73.3 परियोजना विकासकर्ता, विनियम 72 में वांछित नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा यथा रूपांकित प्ररूप में जानकारी नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को प्रस्तुत करेगा।

73.4 नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) विहित नोटरीकृत शपथ पत्र पर प्रत्येक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए नगरपालिक ठोस अपशिष्ट/कचरा निष्पन्न ईंधन के उपयोग के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन, सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, प्रतिवर्ष अप्रैल माह के अंत तक प्रस्तुत करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए इस वार्षिक प्रतिवेदन को हितग्राही वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भी प्रेषित करेगा।

अध्याय–10

विविध

74. प्रतिमानकों से विचलन–

74.1 उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत के विक्रय हेतु टैरिफ को इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के विचलन में इस शर्त के अधीन निर्धारित किया जा सकता है कि इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिमानों से विचलन के कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाए।

75. छूट देने की शक्ति–

75.1 आयोग अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश से कारणों को अभिलिखित करते हुए और प्रभावित हो सकने वाले पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत इन विनियमों के किन्हीं

प्रावधानों को स्वयं अपनी ओर से अथवा उसके समक्ष किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, छूट प्रदान कर सकेगा।

76. कठिनाईयॉं दूर करने की शक्ति–

76.1 यदि इन विनिमयों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग स्वप्रेरणा से अथवा अन्यथा आदेश जारी करके तथा जो उस आदेश से प्रभावित हो सकते हों उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करके, इन विनियमों से सुसंगत ऐसे प्रावधान कर सकेगा, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

77. निरसन एवं व्यावृत्तियॉं–

77.1 इन विनियमों के जारी होने के उपरांत पूर्व के विनियम नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2016 निरसित समझे जाएंगे।

77.2 विनियम 77.1 में किसी बात के होते हुए भी, आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक ऊर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप जारी किये गये सामान्य रूप से अधिमान्य टैरिफ ओदश उस टैरिफ की अवधि पूर्ण होने तक वैध रहेगें।

टीपः– इन विनियमों के हिन्दी पाठ से अंग्रेजी पाठ के निर्वचन अथवा समझ में किसी तरह के मतभेद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

हस्ता./-

(आशा व्ही. देव)
उप-सचिव.

प्रपत्र–1.1 (पवन विद्युत/लघु जल परियोजना/सौर पी.व्ही/सौर तापीय) टैम्पलेट (सांचा): प्राचल धारणा

क्र.	धारणा शीर्ष	उपशीर्ष	उपशीर्ष (2)	यूनिट	प्राचल मूल्य
1.	विद्युत उत्पादन				
		क्षमता			
			स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता	मेगावॉट	
			क्षमता उपयोगिता कारक	%	
			वाणिज्यिक संचालन की दिनांक	माह/वर्ष	
			उपयोगी जीवनकाल	वर्ष	
2.	परियोजना लागत				
		पूंजीगत लागत/मेगावॉट			
			मानदण्डीय लागत पूंजी	रू. लाख/मेगावॉट	
			लागत पूंजी	रू. लाख	
			पूंजी सबसीडी, यदि कोई हों	रू. लाख	
			सकल लागत पूंजी		
3.	वित्तीय धारण				
			टैरिफ अवधि	वर्षो	
		ऋण:साम्या			
			ऋण	%	
			साम्या	%	
			कुल ऋण राशि	रू. लाख	
			कुल साम्या राशि	रू. लाख	
		ऋण घटक			
			उधार राशि	रू. लाख	
			आस्थगण अवधि	वर्षो	
			पुनर्भुगतान अवधि (आस्थगण सहित)	वर्षो	
			ब्याज की दर	%	
		साम्या घटक			
			साम्या राशि	रू. लाख	
			साम्य प्रतिफल पहले 10 वर्ष	%प्रतिवर्ष	
			साम्य प्रतिफल 11 वे वर्ष से	%प्रतिवर्ष	
		घसारा			
			घसारा दर–पहले 10 वर्ष	%	
			घसारा दर पहले 13 वें वर्ष से	%	
4.	संचालन और संधारण				
		मानदंडीय संचालन और संधारण व्यय		रू. लाख/मेगावॉट	
		प्रतिवर्ष मानदंडीय संचालन और संधारण व्यय		रू. लाख	
		पूरवर्धि कारक संचालन और संधारण व्यय हेतु		%	
5.	कार्यशील पूंजी				
		संचालन और संधारण व्यय		माह	
		संधारण अतिरिक्त	संचालन/संधारण व्यय का प्रतिशत	%	
		प्राप्तव्य		माह	
		कार्यशील पूंजी पर ब्याज		%प्रतिवर्ष	

प्रपत्र–1.2 टैरिफ घटकों के निर्धारणप हेतु (पवन विद्युत/लघु जल परियोजना/सौर पी.व्ही/सौर तापीय) टैम्पलेट (सांचा):

इकाई का उत्पादन	इकाई	1–वर्ष	2–वर्ष	3–वर्ष	4–वर्ष	5–वर्ष
स्थापित क्षमता	मेगावॉट					
कुल उत्पादन	मेगायूनिट					
टैरिफ घटक (स्थिर प्रभार)	**इकाई**	**1–वर्ष**	**2–वर्ष**	**3–वर्ष**	**4–वर्ष**	**5–वर्ष**
संचालन/संधारण व्यय	रू.लाख					
मूल्यह्रास(घसारा)	रू.लाख					
अवधि ऋण पर ब्याज	रू.लाख					
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	रू.लाख					
साम्य पर प्रतिफल	रू.लाख					
कुल स्थिर लागत	**रू.लाख**					
प्रतिइकाई टैरिफ घटक	**इकाई**	**1–वर्ष**	**2–वर्ष**	**3–वर्ष**	**4–वर्ष**	**5–वर्ष**
प्रतिइकाई संचालन/संधारण व्यय	रू. प्रतिकिलोवॉट					
प्रतिइकाई मूल्यह्रास	रू. प्रतिकिलोवॉट					
प्रतिइकाई अवधि ऋण पर ब्याज	रू. प्रतिकिलोवॉट					
प्रतिइकाई कार्यशील पूंजी पर ब्याज	रू. प्रतिकिलोवॉट					
प्रतिइकाई साम्या पर प्रतिफल	रू. प्रतिकिलोवॉट					
प्रतिइकाई टैरिफ घटक	**रू. प्रतिकिलोवॉट**					

प्रपत्र–2.1: बायोमास विद्युत/गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादनः प्राचल(पैरामीटर) धारणाओं का नमूना

क्र.	धारणा शीर्ष	उपशीर्ष	उपशीर्ष (2)	यूनिट	प्राचल मूल्य
1.	विद्युत उत्पादन				
		क्षमता			
			स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता	मेगावॉट	
			सहायक खपत का घटक	%	
			वाणिज्यिक संचालन की प्रथम छःमाही में पी.एल.एफ	%	
			वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष के अगले छःमाही में पी. एल.एफ	%	
			वाणिज्यिक संचालन के दूसरे वर्ष से पी.एल.एफ	%	
			वणिज्यिक उत्पादन की दिनांक	माह/वर्ष	
			उपयोगी जीवनकाल	वर्ष	
2.	परियोजना लागत				

		पूंजीगत लागत / मेगावॉट			
			मानदण्डीय लागत पूंजी	रू. लाख / मेगावॉट	
			लागत पूंजी	रू. लाख	
			पूंजी सबसीडी, यदि कोई हों	रू. लाख	
			सकल लागत पूंजी		
3.	वित्तीय धारण				
			टैरिफ अवधि	वर्षो	
		ऋणःसाम्या			
			ऋण	%	
			साम्या	%	
			कुल ऋण राशि	रू. लाख	
			कुल साम्या राशि	रू. लाख	
		ऋण घटक			
			उधार राशि	रू. लाख	
			आस्थगण अवधि	वर्षों	
			पुनर्भुगतान अवधि (आस्थगण सहित)	वर्षो	
			ब्याज की दर	%	
		साम्या घटक			
			साम्या राशि	रू. लाख	
			साम्य प्रतिफल पहले 10 वर्ष	%प्रतिवर्ष	
			साम्य प्रतिफल 11 वे वर्ष से	%प्रतिवर्ष	
		मूल्यह्रास (घसारा)			
			मूल्यह्रास दर–पहले 12 वर्ष	%	
			मूल्यह्रास दर पहले 13 वें वर्ष से	%	
4.	संचालन और संधारण				
		मानदंडीय संचालन और संधारण व्यय		रू. लाख / मेगावॉट	
		प्रतिवर्ष मानदंडीय संचालन और संधारण व्यय		रू. लाख	
		पूरवर्धि कारक संचालन और संधारण व्यय हेतु		%	
5.	कार्यशील पूंजी				
		संचालन और संधारण व्यय		माह	
		संधारण अतिरिक्त	संचालन / संधारण व्यय का प्रतिशत	%	
		प्राप्तव्य		माह	
		बायोमास भंडार		माह	
		कार्यशील पूंजी पर ब्याज		%प्रतिवर्ष	
6.	ईंधन संबंधित धारणाएं				

		स्टेशन ऊष्मा दर	स्थिरीकरण के दौरान	कैलोरी / किलोवॉट	
			स्थिरीकरण के बाद	कैलोरी / किलोवॉट	
		ईंधन प्रकार और मिश्र	बायोमास ईंधन प्रकार–1	%	
			बायोमास ईंधन प्रकार–2	%	
			जीवाश्म ईंधन (कोयला)	%	
			बायोमास ईंधन प्रकार–1 जी. सी.व्ही.	कैलोरी / किलोग्राम	
			बायोमास ईंधन प्रकार–2 जी. सी.व्ही.	कैलोरी / किलोग्राम	
			जीवाश्म ईंधन का (कोयला) जी.सी.व्ही.	कैलोरी / किलोग्राम	
			बायोमास मूल्य (ईंधन प्रकार–1): वर्ष 1	रू. / एम.टी	
			बायोमास मूल्य (ईंधन प्रकार–2): वर्ष 1	रू. / एम.टी	
			जीवाश्म ईंधनमूल्य (कोयला) वर्ष 1	रू. / एम.टी	
			ईंधन मूल्य परिवर्धन कारक	%प्रतिवर्ष	

प्रपत्र–2.2: टैरिफ घटकों के निर्धारणः नमूना (बायोमास विद्युत या गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन)

इकाई का उत्पादन	इकाई	1–वर्ष	2–वर्ष	3–वर्ष	4–वर्ष	5–वर्ष
स्थापित क्षमता	मेगावॉट					
कुल उत्पादन	मेगायूनिट					
टैरिफ घटक (स्थिर प्रभार)	**इकाई**	**1–वर्ष**	**2–वर्ष**	**3–वर्ष**	**4–वर्ष**	**5–वर्ष**
संचालन / संधारण व्यय	रू.लाख					
मूल्यह्रास(घसारा)	रू.लाख					
अवधि ऋण पर ब्याज	रू.लाख					
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	रू.लाख					
साम्य पर प्रतिफल	रू.लाख					
कुल स्थिर लागत	**रू.लाख**					
टैरिफ घटक (परिवर्तनीय प्रभार)	**इकाई**	**1–वर्ष**	**2–वर्ष**	**3–वर्ष**	**4–वर्ष**	**5–वर्ष**
बायोमास ईंधन प्रकार–1	रू.लाख					
बायोमास ईंधन प्रकार–2	रू.लाख					
जीवाश्म ईंधन (कोयला)	रू.लाख					
उप योग (ईंधन लागत)	**रू.लाख**					
विद्युत से आबंटित ईंधन लागत	%					
योग–ईंधन लागत	**रू.लाख**					
प्रतियूनिट टैरिफ घटक(स्थिर)	**इकाई**	**1–वर्ष**	**2–वर्ष**	**3–वर्ष**	**4–वर्ष**	**5–वर्ष**
प्रतिइकाई संचालन / संधारण व्यय	रू. प्रतिकिलावॉट					
प्रतिइकाई मूल्यह्रास	रू. प्रतिकिलावॉट					
प्रतिइकाई अवधि ऋण पर ब्याज	रू. प्रतिकिलावॉट					
प्रतिइकाई कार्यशील पूंजी पर ब्याज	रू. प्रतिकिलावॉट					
प्रतिइकाई साम्या पर प्रतिफल	रू. प्रतिकिलावॉट					
प्रतिइकाई टैरिफ घटक (स्थिर)	**रू. प्रतिकिलावॉट**					
प्रतिइकाई टैरिफ घटक (परिवर्तनीय)	**रू. प्रतिकिलावॉट**					
प्रतिइकाई टैरिफ घटक(कुल)	**रू. प्रतिकिलावॉट**					

प्रपत्र–3.1 बायोमास विद्युत/गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादनः ईंधन उपयोगिता विवरण

क्र.	माह	बायोमास ईंधन–1 की खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–2 की खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–1 की खपत (टन में)			जीवाश्म ईंधन(कोयला) खपत (टन में)			कुल ईंधन खपत से जीवाश्म ईंधन का प्रतिशत		माह में (किवाघंटा) विद्युत उत्पादन		संचयी विद्युत का उत्पादन; मासांत तक वित्तीय वर्ष के दौरान	
		ईंधन का प्रकार	चालू माह के दौरान	कैलोरी मूल्य	ईंधन का प्रकार	चालू माह में	कैलोरी मूल्य	ईंधन का प्रकार	चालू माह के दौरान	कैलोरी मूल्य	उपयागिता कोयले की श्रेणी	चालू माह में	कैलोरी मूल्य	चालू माह के दौरान	विगत 12 माह में संचयी	स्कल	शुद्ध	स्कल	शुद्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	अप्रैल																		
2	मई																		
3	जून																		
4	जुलाई																		
5	अगस्त																		
6	सितंबर																		
7	अक्टूबर																		
8	नवंबर																		
9	दिसंबर																		
10	जनवरी																		
11	फरवरी																		
12	मार्च																		

प्रपत्र–3.2 मासिक ईंधन उपयोगिता विवरण(2/2)

मासिक अद्यतन
परियोजना का नाम
(स्थान, जिला)
क्रेडा/उपक्रम संदर्भ क्र.
स्थापित क्षमता (मेगावॉट)
प्रारंभ (चालू) होने की दिनांक

वित्तीय वर्ष
विवरण दिनांक
परियोजना कोड

क्र.	माह	बायोमास ईंधन–1 की खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–2 की खपत (टन में)			बायोमास ईंधन–3 की खपत (टन में)			जीवाश्म ईंधन (कोयला) खपत (टन में)		
		प्रारंभिक भंडारण	विद्युत संयंत्र के स्थल पर प्राप्त	शेष भंडार	प्रारंभिक भंडारण	विद्युत संयंत्र के स्थल पर प्राप्त	शेष भंडार	प्रारंभिक भंडारण	विद्युत संयंत्र के स्थल पर प्राप्त	शेष भंडार	प्रारंभिक भंडारण	विद्युत संयंत्र के स्थल पर प्राप्त	शेष भंडार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अप्रैल												
2	मई												
3	जून												
4	जुलाई												
5	अगस्त												
6	सितंबर												
7	अक्टूबर												
8	नवंबर												
9	दिसंबर												
11	फरवरी												
12	मार्च												